Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

RBE No.149/2011

No. E(MPP)2009/3/12

Dated 19.10.2011

The General Manager,
All Indian Railways including Production Units

The Director,
Indian Railways,
Institute of Signal Engineering and Telecommunication,
Secunderabad

Sub: - Revised training module for Supervisors of S&T Department.

Board vide letter of even number dated 21.12.2009 have issued the revised training module for Supervisors of S&T Department and vide letter No. PC-V/2008/PS/1(Stipend) dated 29.06.2011 have revised the rates of stipend of Supervisors of S&T Department.

2. In view of the above changes the Indian Railway Establishment Manual Volume I (1989 Edition) is accordingly amended as in Advance Correction Slip No.219. (Enclosed)

3. The Ministry of Railways have also decided that the Manual of Management of Training is amended as per Advance Correction Slip No.2/2011. (Enclosed)

DA: as above

(Anil Wason)
Dy. Director/MPP
Railway Board

No. E(MPP)2009/3/12

Dated: 19.10.2011

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi, with 35 spares.
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, with 35 spares.
3. The Secretary General FROA, Room No.256-A Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.

Contd/.....2

5. All Members, Departmental Council and Secretary Staff side National Council 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi with 90 spares
6. The General Secretary, AIRPF Association, Room No,256 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
7. General Secretary, All India Scheduled Castes & Scheduled Tribes Railways Employees Association, 171/B-3 Basant Lane Railway Colony New Delhi (15 copies)

For Secretary Railway Board

Copy to:

PS & ED(PG) to MR, MSR(A) & MSR(M)

PPS to CRB, FC, ML, MM, MS, MT, DG(RHS), DG(RPF),

PPS to AM(Budget), AM(CE), AM(C&IS), AM(Comml), AM(Elect), AM(Fin.), AM(Mech.), AM(Plg), AM(Project), AM(PU), AM(Sig), AM(Staff), AM(Rly Stores), AM(T&C), AM(Telecom), AM(Traffic), AM(Works), Adv.L(RS), Adv(Vig), Adv.Fin(Exp), Adv(IR), Adv(Safety), LA, OSD(MIS).
ED(Plg), ED(Accts), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Coaching), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDE, ED(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF, EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, ED(MIS), EDE(GC), ED(T&MPP), EDME(Chg), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev), EDME(W), ED(PC)I, ED(PC)II, ED(PP), ED(Project), ED(Project/DMRC, EDRE, ED(safety), JS, JS(C), JS(E), JS(G), JS(P), IG/RPF(Hqs), IG/RS, ED(Sig), ED(Stat & Econ), EDRS(C), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTT(M), EDT(MC), EDT(P), ED(T&C), EDCE(P), ED(PM), ED(PG), EDTC(R), EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(T), ED(W).

Chief Commissioner of Railway Safety Lucknow.

E(Trg), E(NG)I, E(NG)II, E(G), F(E)I, F(E)II, F(E)III , E(SCT)I, E(SCT)II Branches of Railway Board

Indian Railway Establishment Manual Vol. I (1989 Edition)

Advance Correction Slip No.219

Amend the following para 147(2) (iii) and 148(2) (iii) of Sub-Section II of Section 'B' Chapter-I of Indian Railway Establishment Manual Vol. I (1989 Edition)

147(2)(iii) Training and stipend:- They will be on training for a period of 12 months. Stipend: ₹. 9300+4200

148(2)(iii) Training and stipend:- They will be on training for a period of 12 months. Stipend: ₹. 9300+4200.

Note: The period of training for Intermediate Apprentices will be 8 months.

(Authority: Railway Board's letter No. E(MPP)2009/3/12 dated 21.12.2009 and PC-V/2008/PS/1 (Stipend) dated 29.06.2011)

Manual on Management of Training
(June 1998)

Advance Correction Slip No. 2/2011

S.No. 6(a&b) and S.No.7(a&b) of Item No. III of Appendix II of the Manual on Management of Training (Edition 1998) may be modified as under:-

6 (a) Junior Engineer Grade II (Signal): 12 months.

(b) Intermediate Apprentices (Signal): 8 months.

7 (a) Junior Engineer Grade II (Tele): 12 months.

(b) Intermediate Apprentices (Tele): 8 months.

(Authority: Railway Board's letter No. E(MPP)2009/3/12 dated 21.12.2009)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आर.बी.ई. सं. 141 /2011

सं. ई (एम पी पी)/2009/3/12 नई दिल्ली, दिनांक 19.10.2011

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,

निदेशक,
भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान,
सिकंदराबाद.

विषय: सिगनल एवं दूरसंचार विभाग के पर्यवेक्षकों के लिए संशोधित प्रशिक्षण मॉड्यूल

बोर्ड के दिनांक 21.12.2009 के समसंख्यक पत्र के तहत सिगनल एवं दूरसंचार विभाग के पर्यवेक्षकों के लिए संशोधित प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किया गया है और दिनांक 29.06.2011 के पत्र सं.पीसी-V/2008/पीएस/1 (स्टाईपैन्ड) के तहत सिगनल एवं दूरसंचार विभाग के पर्यवेक्षकों की वृत्तिका की संशोधित दरें जारी की गई हैं।

2. उपर्युक्त परिवर्तनों को देखते हुए तदनुसार भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I (1989 संस्करण) को अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.2.11. (संलग्न) के अनुसार संशोधित किया जाता है।

3. रेल मंत्रालय ने भी प्रशिक्षण प्रबंध नियमावली को शुद्धि पर्ची सं. 2/2011 के अनुसार संशोधित करने का विनिश्चय किया है (संलग्न).

संलग्नक: यथोक्त

(अनिल वासन)
उप निदेशक (जनशक्ति योजना)
रेलवे बोर्ड

जारी.....2/-

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35 अतिरिक्त प्रतियां)
2. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35 अतिरिक्त प्रतियां)
3. महासचिव, एफ आर ओ ए, कमरा नं. 256 ए, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ (5 अतिरिक्त प्रतियां)
4. महासचिव, आई आर पी ओ एफ, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
5. राष्ट्रीय परिषद् और विभागीय परिषद् के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां)
6. महासचिव, ऑल इंडिया आर पी एफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256, रेल भवन, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ (5 अतिरिक्त प्रतियां)
7. महासचिव, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, 171/बी-3, बसंत लेन रेलवे कॉलोनी, नई दिल्ली (15 अतिरिक्त प्रतियां)

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री (बी) तथा रेल राज्य मंत्री (एम) के **निजी सचिव और कार्यपालक निदेशक (जनशिकायत),**

प्रमुख निजी सचिव :
अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक, सदस्य कार्मिक, सदस्य यातायात, महानिदेशक/रेल स्वा. से., महानिदेशक/रे.सु.ब.

प्रमुख निजी सचिव :
अपर सदस्य (बजट), अपर सदस्य (सीई), अपर सदस्य (सीएंडआईएस), अपर सदस्य (वाणिज्य), अपर सदस्य (बिजली), अपर सदस्य (वित्त), अपर सदस्य (यांत्रिक), अपर सदस्य (योजना), अपर सदस्य (परियोजना), अपर सदस्य (उत्पादन इकाइयां), अपर सदस्य (सिगनल), अपर सदस्य (कार्मिक), अपर सदस्य (रेल भंडार), अपर सदस्य (टी एंड सी), अपर सदस्य (दूरसंचार), अपर सदस्य (यातायात), अपर सदस्य (निर्माण), सलाहकार (आरएस), सलाहकार (सतर्कता), सलाहकार वित्त (व्यय), सलाहकार (आईआर), सलाहकार (संरक्षा), विधि सलाहकार, विशेषकार्याधिकारी (एमआईएस),

सभी कार्यपालक निदेशक,

मुख्य रेल सुंरक्षा आयुक्त, लखनऊ.

ई (ट्रेनिंग), ई (एन जी) I, ई (एन जी) II, ई (जी), ई (एससीटी) I, ई (एससीटी) II रेलवे बोर्ड की शाखाएं

प्रबंध प्रशिक्षण नियमावली
(जून 1998)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.2/2011

प्रशिक्षण प्रबंध नियमावली (1989 संस्करण) के परिशिष्ट-II की मद सं.III के क्रम सं. 6 (क और ख) तथा क्रम सं.7 (क और ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-

6 (क) कनिष्ठ इंजीनियर ग्रेड II (सिगनल): 12 माह
(ख) मध्यवर्ती प्रशिक्षु (सिगनल): 8 माह

7 (क) कनिष्ठ इंजीनियर ग्रेड II (दूरसंचार) : 12 माह
(ख) मध्यवर्ती प्रशिक्षु (दूरसंचार) : 8 माह

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.12.2009 का पत्र सं. ई (एम पी पी)/2009/3/12)

भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I (1998 संस्करण)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 2।9

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I (1989 संस्करण) के अध्याय-I के अंतर्गत खंड 'ख' के उप-खंड II के पैरा 147 (2) (iii) और 148 (2) (iii) के तहत निम्नलिखित संशोधन किया जाए:

147 (2) (iii) प्रशिक्षण और वृत्तिका : वे 12 माह की प्रशिक्षण अवधि पर जाएंगे।
वृत्तिका रु.9300 + 4200

148 (2) (iii) प्रशिक्षण और वृत्तिका : वे 12 माह की प्रशिक्षण अवधि पर जाएंगे।
वृत्तिका रु.9300 + 4200

टिप्पणी: मध्यवर्ती प्रशिक्षण अवधि 8 माह की होगी।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.12.2009 का पत्र सं. ई (एमपीपी)/2009/3/12 और दिनांक 29.06.2011 का पीसी-V/2008/पीएस/1 (स्टाईपैन्ड)